Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) **अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर**

1. मु0 सुक्खो बेवा टुण्डा, जाति जाटव
2. फूलसिंह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव ?
   समस्त निवासीगण ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।
4. मु0 चन्द्रकला पुत्र टुण्डा पत्नी खुनिया, जाति जाटव, निवासी ग्राम बजेडा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
5. मोहनलाल पुत्र सामन्ता, जाति जाटव, निवासी ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

-- अपीलांट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किरोडी, जाति जाट, निवासी ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।
2. गुड्डु पुत्र शांति जाति जाटव, निवासी ग्राम पाली तहसील बैर, जिला भरतपुर।
3. मु0 कमलेश पुत्री शांति पत्नी गीदा, जाति जाटव, निवासी ग्राम घसकटा, तहसील रूपबास, जिला आगरा (यू0पी0)
4. मु0 शीला पुत्री शांति पत्नी हरविलास, जाति जाटव, ग्राम घसकटा, तहसील रूपबास, जिला आगरा (यू0पी0)

-- रेस्पोडेन्ट्स

(2) **निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर**

रामस्वरूप पुत्र किरोडी, जाति जाट, निवासी गांव पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

-- प्रार्थी

बनाम

1. टुण्डा पुत्र मवासी जाति जाटव (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-
   1.1 मु0 सुक्खो बेवा टुण्डा, जाति जाटव
   1.2 फूलसिह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव
   1.3 राजेन्द्र सिंह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव
   समस्त निवासीगण ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।
   1.4 मु0 चन्द्रकला पुत्र टुण्डा पत्नी खुनिया, जाति जाटव, निवासी ग्राम बजेडा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
2. मोहनलाल पुत्र सामन्ता, जाति जाटव, निवासी ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

-- अप्रार्थीगण

(3) **निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर**

1. टुण्डा पुत्र मवासी जाति जाटव (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-
   1.1 मु0 सुक्खो बेवा टुण्डा, जाति जाटव

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>**
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) **<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>**
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) **<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>**
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

1.2 फूलसिंह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव
1.3 राजेन्द्र सिंह पुत्र टुण्डा, जाति जाटव
समस्त निवासीगण ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।
1.4 मु0 चन्द्रकला पुत्र टुण्डा पत्नी खुनिया, जाति जाटव, निवासी ग्राम बजेडा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
2 मोहनलाल पुत्र सामन्ता, जाति जाटव, निवासी ग्राम पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

-- प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

रामस्वरूप पुत्र किरोडी, जाति जाट, निवासी गांव पाली, तहसील बैर, जिला भरतपुर।

-- अप्रार्थी

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

<u>उपस्थित</u> :-
<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
(1) श्री अयूब खान, अधिवक्ता अपीलांट्स।
(2) श्री औंकारलाल दवे, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस।

<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
(1) श्री औंकारलाल दवे, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री अयूब खान, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
(1) श्री अयूब खान, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
(2) श्री औंकारलाल दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 24 मई, 2018</u>

यह द्वितीय अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>**
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) **<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>**
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) **<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>**
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

एवं डिक्री दिनांक 03-3-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 79/2004 अन्तर्गत धारा 223, अधिनियम शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप को खारिज किया है।

2- निगरानी संख्या 5802/1997/एल.आर./भरतपुर शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि अन्तर्गत धारा 83, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 19-11-1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 27/1995 शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप को स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना का निर्णय दिनांक 31-3-1995 एवं नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 31-8-1994 को निरस्त कर यह निर्देश दिये कि सहायक कलक्टर, बैर के निर्णय के विरूद्ध रेफरेंस बनाकर प्रेषित किया जावे।

3- निगरानी संख्या 1447/2001/एल.आर./भरतपुर शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप अन्तर्गत धारा 84, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 08-2-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या 32/1998 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि को स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर, भरतपुर का निर्णय दिनांक 24-6-1998 एवं नामान्तरकरण संख्या 577 दिनांक 04-12-1997 को निरस्त कर आदेश पारित किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित निगरानी के निर्णय तक स्थगित किया जाता है।

4- उपरोक्त तीनों प्रकरणों में वादग्रस्त भूमि, विवाद बिन्दु एवं पक्षकारान एक समान होने के कारण उपरोक्त तीनों प्रकरणों को एकल

(1) <u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) <u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) <u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों के साथ संलग्न की जावे।

5- **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर शीर्षक सुक्खो बनाम रामस्वरूप के संक्षिप्त तथ्य :-</u>**

तहसील, बैर के ग्राम पाली के खसरा नं0 171 रकबा 8.06 बीघा (जिसे निर्णय में वादग्रस्त भूमि कहा गया है) जमाबंदी संवत 2041 से 2044 में टुण्डा-जंगली पुत्र भवानी 2/3 हिस्सा तथा मोहनलाल पुत्र सामन्ता 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार अंकित है। वादी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा संख्या 248-ए/1987 अन्तर्गत धारा 88-89-188, अधिनियम शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि न्यायालय सहायक कलक्टर, बैर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर वादी/रेस्पो0 संख्या-1 के पूर्वज एक लम्बे समय से काबिज काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने वादग्रस्त भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांट्स के नाम से कर दिया है। यह अंकन बिना किसी आदेश/निर्णय के किया गया है, इसलिए दावा स्वीकार किया जाकर वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या-1 को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। दावा के जैरकार रहते दिनांक 25-7-1987 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एक राजीनामा पत्रावली में संलग्न है। यह राजीनामा दिनांक 25-7-1987 को ही पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया। किन्तु दिनांक 25-7-1987 की फर्दअहकाम पर इस तथ्य का अंकन नहीं है। दावा के प्रतिवादी संख्या-3 के विरूद्ध दिनांक 10-5-1988 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, तत्पश्चात विद्वान सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-5-1988 के द्वारा दावा स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर, बैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-5-1988 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2/वर्तमान अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील संख्या 79/2004 अन्तर्गत धारा 223, अधिनियम शीर्षक

(1) <u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) <u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) <u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03-3-2005 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर, बैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-5-1988 तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03-3-2005 से व्यथित होकर वर्तमान द्वितीय अपील रेस्पो0/अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6- **<u>निगरानी संख्या 5802/1997/एल.आर./भरतपुर शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि के संक्षिप्त तथ्य</u>** :-

वादी/वर्तमान प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 248-ए/1987 अन्तर्गत धारा 88-89-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि को विद्वान सहायक कलक्टर, बैर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-1988 के द्वारा स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर, बैर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-1988 की पालना में इंतकाल संख्या 543 दिनांक 31-8-1994 को स्वीकार किया गया। इंतकाल संख्या 543 दिनांक 31-8-1994 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील संख्या 50/1994 शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 31-3-1995 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इंतकाल संख्या 543 दिनांक 31-8-1994 तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 31-3-1995 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांट्स ने द्वितीय अपील संख्या 27/1995 शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19-11-1997 के द्वारा अपील को स्वीकार इंतकाल संख्या 543 दिनांक 31-8-1994 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बयाना का निर्णय दिनांक

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>**
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) **<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>**
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) **<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>**
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

31–3–1995 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार, बैर को निर्देश दिये कि विद्वान सहायक कलक्टर, बैर की डिक्री के विरूद्ध रेफरेंस प्रस्तुत किया जावे। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 19–11–1997 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी संख्या 5802/1997/एल.आर./भरतपुर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

7– **<u>निगरानी संख्या 1447/2001/एल.आर./भरतपुर शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप के संक्षिप्त तथ्य</u>** :–

विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 19–11–1997 की पालना में वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 577 दिनांक 04–12–1997 को तहसीलदार, बैर ने प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांट्स के नाम से स्वीकृत कर दिया। वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या–1 ने इंतकाल संख्या 577 दिनांक 04–12–1997 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या 05/1998 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपर जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक दिनांक 24–6–1998 के द्वारा अपील संख्या 05/1998 को खारिज कर दिया। वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या–1 ने विद्वान अपर जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 24–6–1998 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 32/1998 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08–2–2001 के द्वारा अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 577 दिनांक 04–12–1998 एवं अपर जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 24–6–1998 को निरस्त कर आदेश पारित किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में लम्बित निगरानी के निर्णय तक स्थगित किया जाता है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 08–2–2001 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>**
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) **<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>**
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) **<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>**
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

8– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9– अपील संख्या 1949/2005 तथा निगरानी संख्या 1447/2001 में अपीलांट/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की मुख्य बहस यह है कि दावा संख्या 248–ए/1987 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि में विद्वान सहायक कलक्टर, बैर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 एकपक्षीय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं धारा 42–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की अवहेलना कर पारित की गई है। उनका कथन है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय विद्वान सहायक कलक्टर, बैर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 में निर्णय का मुख्य आधार दावा के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 25–7–1987 को बनाया गया है, जबकि दावा के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दावे में उपस्थित ही नहीं हुए तथा उन पर कोई नोटिस की तामील ही नहीं करवाई गई। दावा के प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 10–5–1988 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 के द्वारा दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है। किसी भी प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा यदि विधि के प्रावधानों के विपरीत है तो ऐसे राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। राजीनामा से हमारा इंकार है तथा फर्दअहकाम पर इसका अंकन नहीं होना हमारे कथन की पुष्टि करता है। यह सम्यक रूप सत्यापित भी नहीं है। किसी भुलावे मुगालते से अपने इस स्वरूप में पत्रावली में संलग्न है। दावा संख्या 248–ए/1987 में वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या–1 स्वर्ण जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। अनुसूचित जाति एवं स्वर्ण जाति के मध्य कृषि भूमि के संबंध में राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि धारा 42–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ऐसे राजीनामे पर रोक लगाता है। विद्वान सहायक कलक्टर ने प्रक्रियात्मक त्रुटि करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 79/2004 विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

(1) <u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) <u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) <u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 03-3-2005 को खारिज कर दी गई। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए दावा संख्या 248-ए/1987 को निरस्त किया जावे।

10- निगरानी संख्या 1447/2001 शीर्षक टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप में बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 19-11-1997 की पालना में इंतकाल संख्या 577 दिनांक 04-12-1997 को प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के नाम से स्वीकृत किया गया है, जिसकी अपील वादी/रेस्पो0 संख्या-1 के द्वारा अपील संख्या 05/1998 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि अपर जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 24-6-1998 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया, परन्तु अपर जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 24-6-1998 के विरूद्ध वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 32/1998 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने स्वीकार कर इंतकाल संख्या 577 दिनांक 04-12-1997 एवं अपर जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 24-6-1998 को निरस्त कर दिया। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 08-2-2001 राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 08-2-2001 निरस्त किया जावे।

11- अपील एवं निगरानी पर बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या-1 का मुख्य तर्क यह है कि दावा में वर्णित भूमि वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या-1 के पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। विपरीत कब्जे के आधार पर वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या-1

(1) <u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) <u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) <u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन प्रतिवादीगण/वर्तमान अपीलांट्स के नाम से बिना किसी आधार, बिना किसी निर्णय एवं आदेश के कर दिया गया। दावा में प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा दिनांक 25–7–1987 प्रस्तुत किया गया है। राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री करने में विद्वान सहायक कलक्टर, बैर द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है। विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने भी अपील संख्या 79/2004 को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–3–2005 के द्वारा खारिज कर दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है। द्वितीय अपील का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र होता है, इसलिए द्वितीय अपील के माध्यम से समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

12– निगरानी के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या–1 का तर्क है कि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 08–2–2001 विधि अनुकूल है, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में जब तक निगरानी जैरकार है, तब तक इंतकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही को रोका जाना ही न्यायोचित है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 08–2–2001 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए निगरानी खारिज की जावे।

13– निगरानी संख्या 5802/1997 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान सहायक कलक्टर, बैर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 की पालना में इंतकाल संख्या 543 दिनांक 31–8–1994 स्वीकार किया गया था। जब तक सहायक कलक्टर, बैर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–5–1988 प्रभावशील है, तब तक निर्णय की पालना में स्वीकृत इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने इंतकाल संख 543 दिनांक 31–8–1994 को निरस्त करने की त्रुटि की है,

(1) <u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) <u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) <u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 19-11-1997 निरस्त किया जावे।

14- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान सहायक कलक्टर, बैर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-1988 एकपक्षीय एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए अवैध एवं शून्य डिक्री के आधार पर इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-11-1997 विधिक प्रावधानों के तहत पारित होने से निगरानी निरस्त की जावे।

15- अपील कार्यवाही के जैरकार रहते विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की तामील बंद करने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि रेस्पो0 संख्या 2 से 4 फोरमल पक्षकार है, जिनके विरूद्ध अपीलांट्स ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है, अतः उक्त रेस्पो0 की तामील बंद कर दी जावे। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की तलबी/तामील बंद करने का आदेश दिया जाता है।

16- हमने बहस पर मनन किया। आक्षेपित निर्णयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया।

17- उपरोक्त तीनों ही प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर, बैर द्वारा दावा संख्या 248-ए/1987 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-1988 पर आधारित है। विद्वान सहायक कलक्टर, बैर की पत्रावली संख्या 248-ए/1987 का अवलोकन किया गया। वादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा संख्या 248-ए/1987 दिनांक 09-9-1986 को प्रस्तुत किया गया। यह दावा दिनांक 12-9-1986 को दर्ज रजिस्टर किया

जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। यह दावा दिनांक 29–6–1987 को नोटिस प्रस्तुत नहीं करने के कारण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। दिनांक 25–7–1987 की फर्द अहकाम के अनुसार दावे को पुनः नम्बर पर लने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 28–8–1987, दिनांक 8–8–1987, दिनांक 20–10–1987, दिनांक 05–12–1987, दिनांक 21–1–1988 की फर्द अहकाम में प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश दिये गये है। तात्पर्य यह है कि दिनांक 21–1–1988 तक प्रतिवादीगण की तलबी नहीं हुई थी, इसके पश्चात की फर्द अहकाम के मुताबिक प्रतिवादी संख्या–3 के नोटिस अखबार के माध्यम से तामील करवाये जाने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 10–5–1988 को प्रतिवादी संख्या–3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। पत्रावली पर मौजूद राजीनामा, जो प्रतिवादी संख्या–1 टुण्डा एवं प्रतिवादी संख्या–2 मोहनलाल की ओर से प्रस्तुत किया गया है, को प्रस्तुत किये जाने का कोई भी अंकन राजीनामा पर नहीं है। इस राजीनामा की पुश्त पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि वादी की शिनाख्त श्री रमेशचन्द्र एडवोकेट द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की शिनाख्त श्री प्रीतमचंद एडवोकेट द्वारा की गई एवं राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली पर अधिवक्ता श्री प्रीतमचंद का कोई वकालतनामा नहीं है, जब फर्दअहकाम अनुसार प्रतिवादीगण की तामील ही नहीं हुई, से नोटिस जारी करने के आदेश हुये हैं। तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि यह राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो भी दावे में तीन प्रतिवादी थे। राजीनामा केवल दो प्रतिवादीगण द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे राजीनामा के आधार पर तीनों प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेश/निर्णय पारित करना उचित नहीं है। फर्दअहकाम की इबादत में राजीनामे के अंकन का अभाव विपक्षी की तलबी के उपरोक्तानुसार अंकन की स्थिति को दृष्टिगत रखने पर ऐसे राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित नहीं था। वादी की बहस अनुसार कथन प्रारम्भ से काबिज काश्त कर रहा है, किन्तु वाद पत्र

के साथ संलग्न जमाबन्दी में बकाश्त साल 22 का अंकन है। यह जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 की है। इसके अनुसार काश्त 22 साल अर्थात 2019 से है, 2019 अर्थात 1962 है। तब टिनेन्टी एक्ट प्रभाव में आ गया था। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के तहत भी देखा जावे तो यह राजीनामा धारा 42–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 42–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की अवहेलना में किया गया राजीनामा काश्त अंकन से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति व्यक्ति की भूमि में गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। कोई भी राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा लोक नीति के विपरीत हो तो वह राजीनामा विधि के विपरीत होने के कारण दावे को स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को सही आलोक में नहीं देख कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 पारित की गई है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 79/2004 भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा सरसरी तौर पर ही खारिज कर दी गई। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, लोक नीति एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने तथा प्रमाद एवं असावधानी से किये होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

18– फलस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर, बैर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–5–1988 तथा विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–3–2005 निरस्त किये जाते है तथा वादी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 248–ए/1987 अन्तर्गत धारा 88–89–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 शीर्षक रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि को निरस्त किया जाता है।

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./1949/2005/भरतपुर</u>**
मु0 सुक्खो आदि बनाम रामस्वरूप
(2) **<u>निगरानी/एल.आर./5802/1997/भरतपुर</u>**
रामस्वरूप बनाम टुण्डा आदि
(3) **<u>निगरानी/एल.आर./1447/2001/भरतपुर</u>**
टुण्डा आदि बनाम रामस्वरूप

19— चूंकि विद्वान सहायक कलक्टर, बैर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—5—1988 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03—3—2005 निरस्त कर वादी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 248—ए/1987 खारिज कर दिया गया है। इसलिए इस निर्णय की पालना में स्वीकृत इंतकाल की कार्यवाही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप, निगरानी संख्या 5802/1997 तथा निगरानी संख्या 1447/2001 दोनों ही सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा इस निगरानी में अंकित समस्त इंतकाल, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—5—1988 निरस्त होने के कारण प्रभावशून्य घोषित किये जाते है।

20— यहां यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि वर्तमान अपीलांट्स द्वारा किसी भी प्रकार से धारा 42—बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के प्रावधानों की अवहेलना की गई / प्रकरण में धारा 42—बी के उल्लंघन का मामला बनता है तो राज्य सरकार विधि में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य